बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों हेतु 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

परिचय-

राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं बच्चों से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हितधारकों के क्षमतावर्धन एवं बाल संरक्षण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए यूनिसेफ राजस्थान के तकनीकी सहयोग से बाल अधिकारिता विभाग एवं हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की एक संयुक्त पहल के रूप में बाल संदर्भ केन्द्र की स्थापना की गई है।

राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 के क्रियान्वयन साथ-साथ बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास एवं समग्र विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह रोकथाम में सहायक है। उक्त कानून एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के बावजूद भी बाल विवाह की सामाजिक मान्यता/स्वीकार्यता तथा समाज में व्याप्त भ्रान्तियां/मिथ्स के कारण विभिन्न प्रभावी प्रयासों के बावजूद भी बाल विवाह पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पाया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में बाल विवाह की स्थिति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना क्रमांक 6774 दिनांक 15.02.2021 जारी कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत् उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के अतिरिक्त जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निम्नलिखित को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया हैं-

1. उप निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
7. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

उपरोक्तानुसार नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा बाल विवाह से संबंधित अन्य अधिनियम में वर्णित प्रावधानों,प्रक्रियाओं तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के रूप में उनके दायित्व एवं भूमिका पर समझ विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना आवश्यक है।

राज्य में बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में कार्य किया जा रहा है। उक्त क्रम में बाल संदर्भ केन्द्र द्वारा राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2021 में नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों हेतु (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग) एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा हैं।

उद्देश्य–

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा अन्य विधियों में बाल विवाह रोकथाम से संबंधित वर्णित प्रावधानों पर प्रतिभागियों की समझ विकसित करना।
2. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का अन्य अधिनियमों के साथ अंर्तसंबंध पर स्पष्टता प्रदान करना।
3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की शक्तियां, दायित्व एवं भूमिका पर स्पष्टता लाना।
4. बाल विवाह रोकथाम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायक राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रतिभागियों की समझ विकसित करना।

प्रतिभागी–

- सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग (41)

प्रशिक्षण की तिथि एवं समयावधि–

- दिनांक 27-28.04.2026
- प्रात:09.30 बजे से सांय 05.30 बजे तक

अपेक्षित परिणाम–

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तथा अन्य विधियों में बाल विवाह रोकथाम से संबंधित वर्णित प्रावधानों पर प्रतिभागियों की समझ विकसित होगी।
2. प्रतिभागियों की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का अन्य अधिनियमों के साथ अंर्तसंबंध पर स्पष्टता होगी।
3. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की शक्तियां, दायित्व एवं भूमिका पर स्पष्टता होगी।
4. प्रतिभागियों की बाल विवाह रोकथाम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायक राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर समझ विकसित होगी।

****